

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक:-भवन/सू0अ0-100/2020.....

6240 (अ) 345

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार राव
अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विधुत सहित)।
सभी अधीक्षण अभियंता।
सभी कार्यपालक अभियंता।
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक- 9/7/26

विषय:- सूचना का अधिकार 2005 की धारा-25(1) एवं धारा-(2) के तहत बिहार सूचना आयोग में
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 हेतु धारा-25(1) एवं धारा-(2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने
के संबंध में।

प्रसंग:- संयुक्त सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना का पत्रांक-391 दिनांक-24.06.2026
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25(1) एवं धारा-(2) के तहत बिहार
सूचना आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2025-26 हेतु धारा-25(1) एवं धारा-(2) के
अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रासंगिक पत्र के आलोक में संलग्न विहित
प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना
सुनिश्चित किया जाए ताकि सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर माननीय राज्य सूचना
आयोग को उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(धर्मेन्द्र कुमार राव)
09.07.26

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

emi

varun anual report 16-17,17-18 letter

अपर सचिव, पं० नि० वि० मंत्रालय
पं० नि० वि० मंत्रालय, ७३५३२
७३५३२

लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र-1

कम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोसूपदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लिखित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	किन्तु मानवते में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	किन्तु मानवते में राज्य सूचना आयोग द्वारा लोसूपदा0 पर आर्थिक दबाव तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशासना की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा विचारित आर्थिक दबाव की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अन्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी										
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी										
3	निदेशालय										
4	निगम										
5	बोर्ड										
6	प्राधिकार										
7	निकाय										
8	अन्य										
9	कुल योग										

टिप्पणी:- (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटीकृत करवाकर सी0 डी0, फलीपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
 (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामलें हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।
 (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (ब) एवं (घ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटीकृत करवाकर सी0 डी0, फलीपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
 (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटीकृत करवाकर सी0 डी0 फलीपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र-2

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्सारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	असुविक्त
1	मुख्यालय स्तर पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
3	निदेशालय							
4	निगम							
5	बोर्ड							
6	प्राधिकार							
7	निकाय							
8	अन्य							
9	कुल योग							

टिप्पणी:- (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी० डी०, फ्लोपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (घ) एवं (ख) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी० डी०, फ्लोपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्यवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी० डी० फ्लोपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।